

12-2-2020

25 ⁵/₂₁ पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण ने कार्य स्थगित कर रखा है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक... 2-9-21... को पेश हो।

2 ³/₂₁ एवम पत्रावली वकील मलय पत्रावली, वकीलमाला ले विभाजन पाएंगे प्राप्त नहीं हो पुराना स्मरण पत्र जारी करें। एवम दि 22-10-21 को पेश करें।
उपखण्ड अधिकारी- सीकर

वाद-पत्र को आगे नहीं चलाना चाहता हूँ

26 ⁷/₂₄ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ले रिमाण्ड होकर प्राप्त हुई। प्रकरण क्र: दर्ज रजिस्टर है। वारी की ओर ले अधि. की लाकर माल पौधरी हाजिर। वारी की ओर ले एव आवेदन इस आधार का पेश किया गया है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में पक्षकारों ने आपसी सहमति ले मौके पर गीक-सीक कायम कर रखी है तथा तहसील में जाकर सहमति ले बंधारा डवाना-चाहते हैं। वारी को इस प्रकरण में किसी प्रकार के अनुरोध की आवश्यकता नहीं है। वाद को खारिज किया जावे। वारी की पहचान अधि. की लाकर माल द्वारा की गई। अतः वाद वारी की वारी के अनुरोध एवं अधि. वारी की पहचान पर खारिज किया जाता है। पत्रावली के सल मुकाम होकर नम्बर ले कम हो। हाजिल दफ्तर हो। निर्णय आज में दस्तावेज ले दूया गया।

Dr. Sharma
पहचानकर्ता
Meharaj
26/7/24

उपखण्ड अधिकारी, सीकर